राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या	अपीलार्थी का नाम	बनाम
5416 / 2022	अंजू बैरवा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राज.। 3. मुकेश कुमार शर्मा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थाला, माधोराजपुरा, जिला जयपुर।
5739 / 2022	अंजू बैरवा	

—अपीलार्थी

आदेश की दिनांक : 15.09.2023

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. दोनों ही अपीलों में अपीलार्थी एक ही व्यक्ति है एवं दोनों ही अपीलें अपीलार्थी के पदस्थापन / स्थानान्तरण से सम्बन्धित है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. अपील संख्या 5416 / 2022 (585 / 2022) में अपीलार्थिया अंजू बैरवा ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थिया को आदेश दिनांक 07.08.2022 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चकवाडा, जिला जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थाला, जयपुर स्थानान्तरित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थिया ने दिनांक 08.08.2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थाला में कार्य ग्रहण किया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थिया के स्थान पर अन्य व्यक्ति मुकेश कुमार शर्मा (प्रत्यर्थी संख्या—3) का स्थानान्तरण किया गया और अपीलार्थिया का कहीं स्थानान्तरण नहीं किया गया। अपीलार्थिया का पद रिक्त नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थिया के स्थान पर अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित किया गया और इसके पश्चात अपीलार्थिया को दिनांक 12.10.2022 को गलत तरीके से कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थिया के सम्बन्ध में कोई स्थानान्तरण आदेश पारित नहीं किया गया है और अपीलार्थिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थाला में कार्यरत थी, फिर भी इस स्थान पर निजी प्रत्यर्थी

को लाभ देने की गरज से निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जबकि रिक्त पद नहीं था और अपीलार्थिया उस पद पर कार्यरत थी। अपीलार्थिया को गलत तरीके से कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थिया को उसके पदस्थापन के पश्चात अल्पसमय में ही कार्यमुक्त कर दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण में इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 13.10.2022 को अन्तरिम आदेश पारित कर आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) और कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक–2) की क्रियान्विति स्थगित रखी थी।

3. इसके पश्चात अपीलार्थी की ओर से एक अन्य अपील संख्या–5739/2022 प्रस्तुत की गई। इस अपील में अपीलार्थिया ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि दिनांक 28.10.2022 को अपीलार्थिया का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हीरापुरा, जयपुर में किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थिया के सम्बन्ध में पूर्व में अपील लम्बित थी। फिर भी अपीलार्थिया के सम्बन्ध में अल्पसमय में ही स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 पारित किया गया है।
4. अपील संख्या–5739/2022 में अधिकरण द्वारा दिनांक 25.11.2022 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसमें अपीलार्थिया के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 28.10.2022 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये है एवं यह भी आदेश दिया है कि अपीलार्थिया को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनोती आदेश पारित करने से पूर्व कार्यरत थी।
5. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अपील संख्या 5716/2022 (585/2022) में जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि निजी प्रत्यर्थी ने दिनांक 22.10.2022 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थाला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया है। कार्य ग्रहण करने पर आदेश की पालना हो चुकी है। निजी प्रत्यर्थी ने यह भी अंकित किया है कि प्रत्यर्थी विभाग ने प्रशासनिक एवं जनहित में निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया है तथा वर्तमान में आदेश दिनांक 28.10.2022 के द्वारा अपीलार्थिया का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हीरापुरा, जयपुर में स्थानान्तरण हो चुका है। अतः उक्त अपील निरर्थक हो चुकी है।
6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील संख्या–5416/2022 में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि स्थानान्तरण करना नियोक्ता का

अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है राज्य सरकार प्रशासन को चुस्त एंव दुरूस्त बनाने हेतु समय समय पर प्रशासनिक कारणों से अपने कार्मिक की सेवाएँ कही पर लेने हेतु छात्र हित में स्वतन्त्र हैं। अतः विभाग द्वारा अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश वैद्य एंव सही सम्मत व न्यायोचित हैं। प्रत्येक लोकसेवक का प्रथम दायित्व है कि वह अपनी राजकीय सेंवाऐं उत्कृष्ट रूप से दे। सेवाएँ सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। इस प्रकार कर्मचारी/अधिकारी के स्थानान्तरण पर पूर्ण रूप से नियोजक का क्षेत्राधिकारी है वह अपने लोकसेवक का कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरण करता है। सक्षम अधिकारी अपीलार्थी का नियोजक है और प्रशासनिक कारणों से किया गया स्थानान्तरण या पदस्थापन उनके क्षेत्राधिकार में है। आर एस आर के नियम–20 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारी का पदस्थापन/स्थानान्तरण प्रशासनिक एवं जनहित कारणों से किया जा सकता है। इसलिए अपीलार्थी को इच्छित स्थान में पदस्थापित रहने का कोई एकाधिकार नहीं है। एक लोकसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने लोकसेवक को कब और कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरित करता है और उसकी जगह किसको लगाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय पंजाब राज्य व अन्य बनाम जोगिन्दर सिंह दत्त के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311, 226 में लोकसेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने लोकसेवक को कब और कहाँ तथा किस समय स्थानान्तरित करता है और उसकी जगह किसको लगाता है।

7. हमने पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

8. अपीलार्थिया के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थिया को आदेश दिनांक 07.08.2022 के द्वारा रा.उ.मा.वि., थाला में पदस्थापित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थिया ने दिनांक 08.08.2022 को कार्यग्रहण किया था। निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से सर्वप्रथम निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थिया के स्थान पर पदस्थापित कर अपीलार्थिया को कार्यमुक्त किया गया, जिस पर अपीलार्थिया ने अपील संख्या–5416/2022 (585/2022) प्रस्तुत की। अपील लम्बित रहने के दौरान ही अपीलार्थिया के सम्बन्ध में नये

स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28.10.2022 को पारित कर अपीलार्थिया को स्थानान्तरणाधीन होना दर्शाते हुए अपीलार्थिया को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हीरापुरा, जयपुर पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थिया का स्थानान्तरण अल्पसमय में ही किया गया है, जो उचित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थिया को दिनांक 07.08.2022 को रा.उ.मा.वि., थाला जयपुर में पदस्थापित किया गया है। जिस पद पर अपीलार्थिया ने दिनांक 08.08.2022 को पदभार ग्रहण किया था। इसके पश्चात इसी पद पर निजी प्रत्यर्थी को दिनांक 24.09.2022 को पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थिया को कार्यमुक्त किया गया है एवं इसके पश्चात दिनांक 28.10.2022 को अपीलार्थिया का अन्यत्र स्थानान्तरण भी कर दिया गया, जो रा.उ.मा.वि., हीरापुरा, जयपुर में किया गया। स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 08.08.2022 को पदभार ग्रहण करने के पश्चात अपीलार्थी को अल्प समय में ही दिनांक 12.10.2022 को कार्यमुक्त किया गया और इसके पश्चात दिनांक 28.10.2022 को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया। अल्प समय में ही अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। ऐसे में निजी प्रत्यर्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश दिनांक 24.09.2022 जिसके द्वारा निजी प्रत्यर्थी को रा.उ.मा.वि. थाला पदस्थापित किया गया है, को अपास्त किया जाता है एवं साथ ही अपीलार्थीया को रा.उ.मा.वि. थाला से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश दिनांक 12.10.2022 को भी अपास्त किया जाता है। अपील संख्या 5739/2022 में आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.2022 अपीलार्थिया के संबंध में अपास्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थिया को रा.उ.मा.वि. थाला जिला जयपुर में ही कार्यरत रखा जावें। चूंकि निजी प्रत्यर्थी भी रा.उ.मा.वि., थाला में कार्यरत है। ऐसे में इस पद पर वर्तमान में दो व्यक्ति कार्यरत है। इस कारण से प्रत्यर्थी विभाग निजी प्रत्यर्थी का नये सिरे से स्थानांतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)